लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 मार्च, 2019 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।
बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	डा0 एस. पी. सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0. आर. के. सिंह,	उप–कुलपति	सदस्य
3.	श्री श्रवण कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	श्री मदन राजा मौर्य	संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री एस. के. शुक्ल,	कुलसचिव	सदस्य
6.	प्रो0 ए. के. शर्मा	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	श्री एस. डी. मौर्य	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2018 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया वित्तीय वर्ष 2019–20 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/विकास निधि का आय–व्ययक विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय द्वारा तैयार किया गया वित्तीय वर्ष 2019–20 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय–व्ययक पर विचार–विमर्श किया किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) कला एवं शिल्प महाविद्यालय की आय के सापेक्ष व्ययाधिक्य पर विचार करते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक जो भी ऋण कला एवं शिल्प महाविद्यालय को स्वीकृत किया हे, उसे उत्तर प्रदेश शासन से अनुदान के रूप में मॉग किया जाए तथा एक औचित्यपूर्ण प्रस्ताव कला एवं शिल्प महाविद्यालय की अनुदान वृद्धि के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित किया जाए।

बिन्दु संख्या–03

बैक पेपर परीक्षा 2016, 2017 मूल्यांकन प्रकोष्ठ तथा सेमेस्टर परीक्षा प्रकोष्ठों के अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों को रू0 8100/– एवं रू0 6600/– के मानदेय में वृद्वि एवं मानकीकरण विषयक प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा प्रति–कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया, जिसमें उप–कुलपति की अध्यक्षता में परीक्षा नियंत्रक, कुलसचिव/नामिनी, वित्त अधिकारी/नामिनी, उप–कुलसचिव (लेखा एवं परीक्षा) सदस्य होगें। वित्त समिति ने तत्सम्बन्धी रू0 4,47,600/– के लम्बित बिलों जो वर्ष 2016 एवं 2017 से सम्बन्धित है, के भुगतान पर सहमति प्रदान की गयी। समिति के द्वारा भविष्य में इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट नीति बनाकर भुगतान किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

बिन्दु संख्या–04

कार्य अधीक्षक निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30,05,2018, 20.11.2018 तथा 25.02.2019 को सम्पन्न बिल्डिंग वर्क्स कमेटी की बैठक में लिए गये निणर्यो के कार्यवृत्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये, जिसे समिति द्वारा अवलोकित कर अनुमोदित किया गया।

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राच्य अरबी एवं फारसी विभाग के संचालित Dabir-e-Mahir, Alim, Dabir-e-Kamil, Fazil-e-Adab (shia/Sunni), Fazil-e-Tafsir (Shia/Sunni), Shashtri and Achaarya सामान्य एवं स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को Tution fee & Admission fee से मुक्त रखने एवं अन्य शुल्कों को यथावत् रखने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–06

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किये गये, जिसपर समिति ने अपनी सहमति/अनुमोदन प्रदान किया:–

(1) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु 1:6 का अनुपात साक्षात्कार हेतु निर्धारित किये जाएं।
(2) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर रखे गये शिक्षकों को दिये जाने वाली वेतनवृद्धि 5 वर्ष के पश्चात् स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की तत्कालीन वित्तीय स्थिति के दृष्टितगत (सम्बन्धित शिक्षक के कार्य निष्पादन के आधार पर) अनुमन्य होगी।
(3) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को दिये जाने वाली वेतनवृद्धि 0 से 10 प्रतिशत कार्य निष्पादन के आधार पर अनुमन्य होगी। वेतनवृद्धि किसी भी स्थिति में स्वतः अनुमन्य नही होगी।
(4) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सेवा शर्तो हेतु एक नया अनुबन्ध तैयार करने एवं पुराने अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा :सहमति व्यक्त की गयी।
(5) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों पर आय के सापेक्ष ही वेतनादि पर व्यय किया जाएगा। पाठ्यक्रम की कुल आय 40 प्रतिशत धन विश्वविद्यालय के पास अवस्थापना व्यय हेतु प्राविधानित किया जाएगा तथा अलाभकारी पाठ्यक्रमों को तत्काल बन्द करने पर सहमति प्रदान की गयी।
(6) 60 प्रतिशत से कम प्रवेश होने पर पाठ्यक्रम का संचालन स्थगित रहेगा।

बिन्दु संख्या–07

विश्वविद्यालय के गैर–शैक्षणिक पदों पर स्ववित्त पोषित पाठ्क्रमों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार आउट–सोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–8

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों माली, गार्ड, चौकीदार एवं परिचर आदि का नामकरण Multitasking Staff करने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा यह मन्तब्य व्यक्त किया गया कि एक सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा सकता है।

बिन्दु संख्या–9

यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 3/2019/जी–2–41/दस–2019–601/2011 दिनांक 05 मार्च, 2019 अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु।

बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यू.जी./पी.जी./एम.फिल/पी.एच.डी./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड./बी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा 2019–20 से सम्बन्धित आय–व्ययक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या

176/सत्तर–1–2019–15(32)/81 दिनांक 09 मार्च, 2019 को लखनऊ विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–3

डा0 संध्या मिश्रा, ललित कला संकाय जोकि स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम.एफ.ए. पाठ्यक्रम में वर्ष 2004 से प्रवक्ता पद पर मिड प्वाईंट पर कार्यरत हैं, उन्हें छठे वेतन अयोग के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, को सातवें वेतन आयोग के आधार पर असि0 प्रो0 का वेतनमान रू0 15000–39100 एवं ग्रेड पे. रू0 6000 को दिनांक 01.01.2016 से (मिड–प्वाईंट) वेतन पुनरीक्षित करते हुए रू0 35,145/– प्रतिमाह किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–4

विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रय किए गये खेल उपकरण के भुगतान रू0 8,70,037/– के सम्बन्ध में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018–19 में सम्मिलित करते हुए भुगतान पर समिति द्वारा कार्योत्तर सहमति प्रदान की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त कर क्रय नियमावली के अन्तर्गत बजट सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किये जाएं। अधिक व्यय का दायित्व व्ययकर्ता का निर्धारित किया जाए।

बिन्दु संख्या–5

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा कुलपति एवं प्रति–कुलपति को देय विशेष भत्ते को लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर विचार–विमर्श किया गया। संशोधित दरों पर भुगतान किये जाने पर सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गयी। भुगतान कार्य–परिषद से अनुमोदनोंपरान्त किया जाए।

बिन्दु संख्या–6

समिति के द्वारा प्रति–कुलपति के प्रयोगार्थ पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों के सापेक्ष एक वाहन क्रय किये जाने हेतु विचार–विमर्श किया गया, विचार–विमर्श के उपरान्त निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी एवं शासकीय नियमों के अनुसार एक नया वाहन क्रय करने पर सहमति प्रदान की गयी। साथ ही परीक्षा नियंत्रक कार्यालय हेतु पूर्व में स्वीकृत एक मल्टीयूटिलिटी वाहन जिसका क्रय पूर्व में वित्त समिति से अनुमोदित था, को विचार–विमर्श के उपरान्त शासकीय नियमों के अनुसार पुनः क्रय करने पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–7

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में सम्पादित की जा रही समवर्ती सम्परीक्षा की फीस के लिए प्रस्तावित बजट वर्ष 2019–20 में रू0 1.00 करोड़ की राशि को अस्वीकृत करते हुए प्रस्ताव शासन को अनुदान स्वीकृत करने पर पत्र शासन को प्रेषित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु सख्या–8

अभियांत्रिकीय संकाय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संविदा के आधार पर पद सृजन का प्रस्ताव समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति के द्वारा ए.आई. सी.टी.ई. के नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार पद सृजन पर सहमति व्यक्त की गयी।

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(मदन राजा मौर्य)
संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(प्रो0 ए. के. शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक

(एस. के. शुक्ल)
कुलसचिव

(एस. डी. मौर्य)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 आर. के. सिंह)
प्रति–कुलपति

(डा0 एस.पी. सिंह)
कुलपति